पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 17/2024

फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 702, सेवेन्थ फ्लोर, यूनिक एस्पायर प्लॉट नंबर 13–14, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर–302021 जरिये प्राधिकृत अधिकारी गौरव कुमावत।

...प्रार्थी

बनाम

1.प्रकाश मीना पुत्र श्री गिन्दोडी राम मीणा (ऋणी व बंधककर्ता)
पताः ग्राम– नांदरी नाथी पाटिल का बास, तहसील सिकराय जिला दौसा–303509
2.बिरमा देवी पत्नि श्री प्रकाश मीणा (सह–ऋणी)
पताः ग्राम– नांदरी नाथी पाटिल का बास, तहसील सिकराय जिला दौसा–303509
3.गिन्दोडीराम मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा (सह–ऋणी)
पताः ग्राम– नांदरी नाथी पाटिल का बास, तहसील सिकराय जिला दौसा–303509
4.श्री रामकेश मीणा पुत्र श्री बटटू मीणा(गारन्टर)
पताः ग्राम– नांदरी, तहसील सिकराय जिला दौसा–303509

......अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक:28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड,ने अप्रार्थी/ऋणी को 7,99,796/–(रूपये सात लाख निन्यानवे हजार सात सौ छियानवें मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड,को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई प्रकाश मीणा पुत्र श्री गिन्दोडी राम मीणा की अचल संपत्ति जो ग्राम नांदरी, ग्राम पंचायत नांदरी, पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 195 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी फिनोवा कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा